न्यायालय अपर जिला जज, प्रथम, जौनपुर
उपस्थितः श्री अनिल कुमार यादव,प्रथम एच0जे0एस0 ।
सिविल निगरानी संख्याः 160/2024
अशोक कुमार ——————————बनाम——————————लालबहादुर

निर्णय

प्रश्नगत सिविल निगरानी सिविल जज (जू0डि0),जौनपुर, जौनपुर द्वारा मूलवाद सं0 378/1996 भगौती बनाम भगीरथी में पारित आदेश दिनांकित 30.09.2024 के विरूद्ध योजित की गयी है।

दौरान सुनवाई निगरानीकर्ता अनुपस्थित व विपक्षी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि मूल वाद संख्या 378/1996 भगौती बनाम भगीरथी की पत्रावली में विपक्षी की ओर से प्रार्थनापत्र का0सं0 57क प्रतिवाद पत्र में संशोधन हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थनापत्र के विरूद्ध वादी द्वारा आपत्ति की गयी। न्यायालय द्वारा पक्षकारो को सुनने एवं पत्रावली के अवलोकन के उपरान्त विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 30.09.2024 द्वारा निगरानीकर्ता/विपक्षी का प्रार्थनापत्र 57क स्वीकार किया गया।

निगरानीकर्ता की ओर से उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर प्रश्नगत निगरानी संस्थित की गयी है। निगरानीकर्ता द्वारा अपनी निगरानी में सरसरी तौर से कथन करते हुए यह आधार लिया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय ने विधि विरूद्ध तरीके से आलोच्य आदेश पारित किया है। जहॉ तक निगरानीकर्ता द्वारा लिया गया उक्त आधार का प्रश्न है, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित आदेश में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि पक्षकारों के मध्य विवाद में अन्तरवलित तथ्यों को अवधारित करने के प्रयोजनार्थ संशोधन आवश्यक प्रतीत होता है और संशोधन आदेश 6 नियम 17 की परिधि में आता है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक् परिशीलन के उपरान्त आक्षेपित आदेश पारित किया है। विद्वान अवर न्यायालय का आलोच्य आदेश पूर्णतः विधिपूर्ण है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तद्नुसार निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाती है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 30.09.2024 की पुष्टि की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाय।

दिनांक–10.03.2026

(अनिल कुमार यादव,प्रथम)
अपर जिला जज, प्रथम
जौनपुर।
जे.ओ.कोड–यू.पी. 6112

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक–10.03.2026

(अनिल कुमार यादव,प्रथम)
अपर जिला जज, प्रथम
जौनपुर।
जे.ओ.कोड–यू.पी. 6112

Digitally signed by ANIL KUMAR YADAV
Date: 2026.03.10 16:40:28 IST
Reason: Judgment
Location: District and Sessions Court
Jaunpur